# भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या एवं समाधान एवं सरकार द्वारा किये गये प्रयासों का विश्लेषण

**राकेश कालरवाल,**
**(M.A., B.Ed., NET, SET)**
**सहायक आचार्य (समाजशास्त्र), राजकीय महाविद्यालय, गीजगढ़ (दौसा)**

## सारांश

राष्ट्रीय एकता का तरीका है, अलग–अलग संस्कृति, नस्ल जाति व धर्म के लोगो के मध्य समानता लाने का किसी भी देश के विकास के लिए देश मे सद्भावना का होना बहुत जरूरी होता है। परन्तु सांस्कृतिक, धार्मिक मतभेद कभी–कभी राष्ट्रीय एकता में प्रमुख बाधक बन जाते है। जो अक्सर देश विकास में बाधक बन जाते है। भारत एक ऐसा देश है जहा सर्व धर्म की बात होती है एवं देश मे एकीकरण लोगो की एकता और सौहार्द के द्वारा ही संभव होगा। राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है देश के विभिन्न वर्गों, जातियों, समुदायों, भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों को एकता के सूत्र में बाँधना। भारत जैसे बहुलतावादी देश में, जहाँ हर 100 किलोमीटर के बाद भाषा, संस्कृति, और परंपराओं में बदलाव दिखाई देता है, वहाँ राष्ट्रीय एकीकरण एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। विभाजन के बाद के भारत में यह आवश्यक हो गया कि विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक समूहों को एकजुट करके देश को एक सशक्त और अखंड राष्ट्र बनाया जाए। इस निबंध में राष्ट्रीय एकीकरण के समक्ष आने वाली प्रमुख समस्याओं और उनके समाधान के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विश्लेषण किया जाएगा।

## प्रस्तावना

26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होते ही भारत में यह सिद्धान्त स्वतः लागू हो गया कि संसद जनता की होगी, जनता द्वारा निर्मित होगी और जनता के लिए होगी। इसके ठीक दो माह पूर्व 25 नवम्बर 1949 को संविधान सभा की ड्रफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने यह तथ्य भी उजागर किया था कि ''कोई संविधान कितना ही अच्छा क्यों न हो उसका खराब संविधान होना सुनिश्चित है यदि उसको लागू करने वाले लोग ही खराब निकलें। उसी प्रकार कोई संविधान कितना खराब क्यो न हो, वह एक अच्छा संविधान सिद्ध हो सकता है, यदि उसको लागू करने वाले अच्छे निकलें'' तीसरा महत्वपूर्ण संविधान सम्मत तथ्य जिसे समझना आवश्यक है वह यह कि यद्यपि विधायका सर्वश्रेष्ठ संस्था होगी, परन्तु कार्यपालिका (सरकार) अर्थात शासन (मंत्रीमंण्डल)+ प्रशासन (नौकरशाही) की भारत की समृद्धि मे विशेष भूमिका होगी। आज सारी दुनियां जिस देश को व इसकी तरक्की का आदर और सम्मान के साथ देख रही है वह भारत है। सभी कहते है कि भारत में सब कुछ मिलता है, भारत के एक मिशाल है सद्भावना की। हॉ यह सत्य है कि हमारे देश के पास सब कुछ है। जहां भारत की मिशाल अपने दिये वादे को निभाने के लिए मरना पड़े तो लोग अपनी जान भी देते थे वहीं आज हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारी जनता की बीच बेईमानी इस तरह बस गयी है कि लोग भ्रष्टाचार के चलते अपना नैतिक पतन किये जा रहे हैं।

## अर्थ, चुनौतियाँ, राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले कारक

आज हमारे देश में बेईमानी, भ्रष्टाचार, राजनैतिक भ्रष्टाचार, नैतिक पतन का इतना बोल वाला बढ़ गया है। भारत की तसवीर देखें तो लगता है कि भारत गरीबों का देश है पर दुनियां के सबसे अमीर यहीं बसते **है यह भी एक बहुत बड़ा सच है। पिछले कई वर्षों से भारत की राष्ट्रीय एकता भ्रष्टाचार से जूझ रही है वहीं दूसरी अर भ्रष्टाचारी** मजे कर रहे हैं। आज ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक भ्रष्टाचार का बोलवाला है, सरकारी दफ्तर में चपरासी से लेकर उच्च कोटि कोटि के अफसर बिना रिश्वत के कोई बात नहीं करते है हमारा देश भ्रष्टाचार के मामले में लगातार तरक्की करता जा रहा है यहां गौर करने वाली बात यह है कि यह भ्रष्टचार किसी एक या दो विभागों या संस्थाओं मे नहीं है बल्कि भारत की प्रत्येक संस्था के भाषा में पाया जाता है चाहे वह राजनीति का क्षेत्र हो, व्यापार का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, इत्यादि। आज भारत विकास के मामले मे भले ही कितना पीछे क्यों न हो पर भ्रष्टाचार के मामले में भारत लगातार बढता जा सकता है'' यह स्वयं सिद्ध है कि किसी देश की शिक्षित जनता गरीब नहीं होती है तथा अशिक्षित जनता अमीर नहीं हो सकती है । इसी तरह भारत बहत पहले ही खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो चुका था, लेकिन राजनीतिक भ्रष्टाचार के कारण भुखमरी में दुनियां में 78 देशों में 63वें नम्बर पर है यह स्थिति श्रीलंका पाकिस्तान व बाग्लादेश से भी शर्मनाक है।

भारत जैसे देश में समाज के सभी वर्गों के बीच एकता बढ़ाने के लिए भारत में राष्ट्रीय एकता (National Integration in India in Hindi) बहुत महत्वपूर्ण है। भारत एक एकीकृत सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक संरचना वाला देश है। यह उन लोगों के एक समूह को दर्शाता है जिनमें एकता की भावना है, जो सामान्य इतिहास, समाज, संस्कृति और मूल्यों के आधार पर निर्मित है। एकता की यह भावना लोगों को एक राष्ट्र में बांधती है।भारत एक महान विविधताओं वाला देश भी है। इस देश में रहने वाले लोग विभिन्न जातियों, समुदायों और जातियों के हैं। वे विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में रहते हैं और विभिन्न भाषाएँ बोलते हैं। वे विभिन्न धर्मों में विश्वास करते हैं और उनका पालन करते हैं और विभिन्न जीवन शैली रखते हैं। लेकिन इन तमाम विविधताओं के बावजूद वे सभी भारतीय हैं और उन्हें ऐसा लगता है।

राष्ट्रीय एकता किसी देश के नागरिकों के बीच एक समान पहचान की जागरूकता है। इसका अर्थ यह है कि हालांकि व्यक्ति विभिन्न समुदायों, जातियों, धर्मों, संस्कृतियों और क्षेत्रों से संबंधित हैं और विभिन्न भाषाएं बोलते हैं लेकिन वे सभी इस तथ्य को पहचानते हैं कि वे एक हैं। एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में इस तरह का एकीकरण बहुत महत्वपूर्ण है।

## राष्ट्रीय एकीकरण की समस्याएँ

### 1. धार्मिक और सांप्रदायिक विभाजन

भारत एक बहुधर्मी देश है, जहाँ हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, और पारसी धर्मों के अनुयायी निवास करते हैं। यह धार्मिक विविधता अक्सर देश की सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है, लेकिन कभी–कभी यह विभाजन और असमानता का कारण भी बनती है। धार्मिक असहिष्णुता और सांप्रदायिकता के कारण देश में अनेक दंगे और हिंसक घटनाएँ हुई हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय एकीकरण को कमजोर किया है। सांप्रदायिक हिंसा और धार्मिक कट्टरता ने विभिन्न समुदायों के बीच अविश्वास और नफरत की भावना पैदा की है, जो राष्ट्रीय एकता के लिए एक गंभीर खतरा है।

#### ऐतिहासिक संदर्भ

स्वतंत्रता के तुरंत बाद, भारत ने सांप्रदायिक हिंसा का सबसे भयानक रूप विभाजन के समय देखा। विभाजन ने लाखों लोगों को विस्थापित किया और हजारों लोगों की जान ली। इसके बाद भी, सांप्रदायिक

दंगे और हिंसा की घटनाएँ जैसे कि 1984 का सिख विरोधी दंगा, 1992 का बाबरी मस्जिद विध्वंस, और 2002 का गुजरात दंगा, राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती बने रहे।

**2. भाषाई विविधता और विवाद**

भारत में भाषाई विविधता राष्ट्रीय एकता के लिए एक बड़ी चुनौती है। देश में 22 आधिकारिक भाषाएँ हैं, जिनमें हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, उर्दू, गुजराती, कन्नड़, और मलयालम प्रमुख हैं। इन भाषाओं के बीच संघर्ष ने कभी–कभी क्षेत्रीय अस्मिता को जन्म दिया है, जो राष्ट्रीय एकता को कमजोर करती है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के प्रयास ने दक्षिण भारत में विशेषकर तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन और आंदोलन को जन्म दिया। इस विवाद ने राष्ट्रीय एकता को प्रभावित किया है और इसे सुलझाने के लिए सरकार को कई प्रयास करने पड़े हैं।

**सरकार के कदम**

भारत सरकार ने भाषाई विवादों को सुलझाने के लिए संविधान में प्रावधान किए हैं। संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा और अंग्रेजी को सहायक राजभाषा का दर्जा दिया गया है। साथ ही, राज्य सरकारों को अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का संरक्षण और संवर्धन करने का अधिकार भी दिया गया है।

**3. क्षेत्रीय अस्मिता और अलगाववाद**

क्षेत्रीय अस्मिता और अलगाववाद ने भी राष्ट्रीय एकता को चुनौती दी है। भारत के विभिन्न हिस्सों में समय–समय पर क्षेत्रीय पहचान और अस्मिता के आधार पर अलगाववादी आंदोलन हुए हैं। इनमें पंजाब का खालिस्तान आंदोलन, जम्मू–कश्मीर में अलगाववादी आंदोलन, और पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद प्रमुख हैं। इन आंदोलनों ने देश की अखंडता को खतरे में डाला है और सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी की है।

**केस स्टडी**

जम्मू–कश्मीर में अलगाववादी आंदोलन का इतिहास काफी पुराना है। 1947 के विभाजन के बाद से ही इस क्षेत्र में अलगाववादी गतिविधियाँ और आतंकवाद जारी है। सरकार ने इसे सुलझाने के लिए अनुच्छेद 370 को हटाने जैसे कठोर कदम उठाए हैं, लेकिन इसके बावजूद क्षेत्र में शांति और स्थिरता स्थापित करना एक कठिन कार्य बना हुआ है।

**4. जातिगत भेदभाव**

जातिवाद भारतीय समाज की सबसे गहरी समस्याओं में से एक है। सदियों से चली आ रही जातिगत असमानता और भेदभाव ने समाज में गहरी खाई उत्पन्न की है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को समाज में भेदभाव और अत्याचार का सामना करना पड़ा है। इससे सामाजिक ताने–बाने को नुकसान पहुंचा है और राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधा उत्पन्न हुई है।

## 5. आर्थिक असमानता

आर्थिक असमानता भी राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करती है। भारत में अमीर और गरीब के बीच की खाई लगातार बढ़ रही है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच भी आर्थिक असमानता है। यह असमानता सामाजिक असंतोष और विद्रोह का कारण बन सकती है, जो राष्ट्रीय एकता को कमजोर करती है।

## सरकार द्वारा किए गए उपाय

सरकार ने आर्थिक असमानता को कम करने के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं, जैसे कि मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जनधन योजना, और सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ। इन योजनाओं का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और समाज में आर्थिक समानता को बढ़ावा देना है। भारत सरकार ने जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए संविधान में कई प्रावधान किए हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए शिक्षा और रोजगार में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। साथ ही, अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 लागू किया गया है, जो जातिगत अत्याचारों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान करता है।

### 1. संवैधानिक उपाय

संविधान भारत के राष्ट्रीय एकीकरण का प्रमुख आधार है। संविधान में धर्मनिरपेक्षता, समानता, और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 14, 15, और 16 समानता के अधिकार को सुनिश्चित करते हैं, जबकि अनुच्छेद 19 और 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार की गारंटी देते हैं। इसके अलावा, संविधान में अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।

### 2. कानूनी और प्रशासनिक उपाय

सरकार ने सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, और जातिवाद को नियंत्रित करने के लिए कई कानून बनाए हैं। इनमें प्रमुख हैं:–

**•सांप्रदायिक हिंसा (रोकथाम) अधिनियम** :इस अधिनियम का उद्देश्य सांप्रदायिक दंगों को रोकना और दोषियों को सजा देना है।

**•अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम** : इस अधिनियम के तहत जातिगत आधार पर किए गए अत्याचारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।

**•राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम** :यह अधिनियम देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान करता है।

### 3. शिक्षा और जागरूकता अभियान

शिक्षा को राष्ट्रीय एकीकरण का एक महत्वपूर्ण साधन माना गया है। सरकार ने शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं। 'राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS)' और 'राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC)' जैसे कार्यक्रमों का उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना है। इसके अलावा, शिक्षा में नैतिक शिक्षा और नागरिक शास्त्र को शामिल किया गया है, ताकि छात्रों में राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक विविधता के प्रति सम्मान की भावना विकसित हो सके।

### 4. विकास योजनाएँ और आर्थिक सुधार

विकास योजनाओं और आर्थिक सुधारों के माध्यम से सरकार ने राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, और जनधन योजना जैसी योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक असमानता को कम करना और समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना है। इन योजनाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों और पिछड़े क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने में मदद मिली है।

### 5. सांप्रदायिक सौहार्द के लिए सरकारी प्रयास

धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद (National Integration Council) का गठन किया गया है, जो सांप्रदायिकता और अलगाववाद से निपटने के लिए सुझाव देती है। इसके अलावा, सांप्रदायिक हिंसा की रोकथाम के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों को प्रशिक्षित किया जाता है, ताकि वे ऐसे मामलों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई कर सकें।

## केस स्टडीज

### 1. पंजाब में आतंकवाद और सरकार की भूमिका

1980 और 1990 के दशक में पंजाब में खालिस्तान आंदोलन ने राज्य की शांति और स्थिरता को गंभीर खतरा पहुँचाया। इस आंदोलन का उद्देश्य पंजाब को भारत से अलग करके एक स्वतंत्र सिख राज्य बनाना था। इस आंदोलन से निपटने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए, जिसमें ऑपरेशन ब्लू स्टार और ऑपरेशन वुडरोज प्रमुख थे। सरकार की इन कार्रवाइयों से आतंकवाद पर काबू पाया गया और पंजाब में शांति बहाल हुई।

### 2. कश्मीर समस्या और सरकार के प्रयास

कश्मीर समस्या भारत के समक्ष सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक रही है। 1947 के विभाजन के बाद से ही यह क्षेत्र विवाद का विषय रहा है। सरकार ने इस समस्या का समाधान खोजने के लिए कई प्रयास किए हैं, जिनमें अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण और पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तिकरण शामिल हैं। इसके अलावा, विकास योजनाओं के माध्यम से भी सरकार ने कश्मीर में शांति और स्थिरता स्थापित करने का प्रयास किया है।

### 3. उत्तर–पूर्वी भारत में अलगाववाद और सरकार की पहल

उत्तर–पूर्वी भारत में अलगाववादी आंदोलन भी राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती बने रहे हैं। मणिपुर, नागालैंड, और असम जैसे राज्यों में उग्रवाद और अलगाववाद ने शांति और विकास में बाधा डाली है। सरकार ने शांति समझौतों और विकास योजनाओं के माध्यम से इन समस्याओं को हल करने का प्रयास किया है। बोडो शांति समझौता और नागा शांति वार्ता जैसे कदमों ने क्षेत्र में शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

## निष्कर्ष

राष्ट्रीय एकीकरण भारत के समक्ष एक स्थायी चुनौती है। धार्मिक, भाषाई, जातीय, और आर्थिक विभाजन ने राष्ट्रीय एकता को कमजोर किया है, लेकिन सरकार ने समय–समय पर इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। संवैधानिक प्रावधानों, कानूनी उपायों, शिक्षा और जागरूकता अभियानों, विकास योजनाओं, और सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के प्रयासों ने राष्ट्रीय एकता को सशक्त बनाया है। लेकिन यह कार्य अभी भी अधूरा है और इसे निरंतरता की आवश्यकता है।

आगे का रास्ता समावेशी विकास, सामाजिक जागरूकता, और नागरिक भागीदारी से होकर जाता है। सरकार को चाहिए कि वह इन प्रयासों को जारी रखे और राष्ट्रीय एकता को और मजबूत बनाए। एक सशक्त और एकीकृत भारत ही देश को विश्व में एक महान शक्ति के रूप में स्थापित कर सकता है।

## संदर्भ सूचीः–


1. भारतीय संविधान और संवैधानिक प्रावधान।
2. सरकारी नीतियाँ और योजनाएँ।
3. स्वतंत्रता संग्राम और विभाजन का इतिहास।
4. सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद पर आधारित शोध लेख।
5. जातिगत असमानता और आर्थिक विकास पर अध्ययन।
6. रामचंद्र गुहा, भारत स्वतंत्रता संग्राम और एकीकरण, प्रकाशक राजकमल प्रकाशन।
   भारत का समाज और संस्कृति लेखक डॉ. जसबीर सिंह प्रकाशक साधना प्रकाशन इस पुस्तक में भारत की सामाजिक और
   सांस्कृतिक विविधता के साथ–साथ एकीकरण की समस्याओं का विश्लेषण किया गया है।
7. भारत का राजनीतिक इतिहास लेखक डॉ. नरेश कुमार प्रकाशक राजपाल एंड संज।
   इस पुस्तक में भारत के राजनीतिक इतिहास की घटनाओं और उनकी राष्ट्रीय एकता पर प्रभाव का विस्तृत वर्णन है।
8. भारत में सांप्रदायिकता और राष्ट्रीय एकता लेखक प्रोफेसर संजय कुमार, प्रकाशक पारिजात प्रकाशन। इस पुस्तक में सांप्रदायिकता के मुद्दों और उनकी राष्ट्रीय एकता पर प्रभाव की चर्चा की गई है।
9. अलगाववाद और उसकी चुनौतियाँ लेखक डॉ. वीरेंद्र सिंह, प्रकाशक शिवना प्रकाशन।
   इस पुस्तक में भारत के विभिन्न हिस्सों में अलगाववादी आंदोलनों और उनकी चुनौतियों का विश्लेषण किया गया है।
10. श्री कृष्णदत्त भट्ट ,सामाजिक विघटन और भारत (पृष्ठ–478 –79)।
11. भारतीय सामाजिक समस्याएं (प्रो. डॉ. एम.एल. गुत्ता एवं डी.डी. शर्मा (पेज नं. 301–346)।